



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128670

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19996/2026

शाकिब

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जय प्रकाश प्रसाद, राकेश यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन थाना जानी, जनपद मेरठ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 184/2026 तहत धारा 309(6), 137(2), 3(5) बीएनएस में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। अभिकथित घटना दिनांक 4.4.2026 को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घटित हुई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 6.4.2026 को दर्ज कराई गई थी। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। आवेदक को अभिकथित अपराध से संबद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को दिनांक 8.4.2026 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस द्वारा रु. 62,000/- एवं एक मोबाइल फोन की एक मिथ्या फ़र्द बरामदगी दर्शाई गई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि रु. 62,000/- की धनराशि आवेदक की है तथा अच्छा कार्य दर्शाने हेतु पुलिस द्वारा मिथ्या बरामदगी दर्शाई गई। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक दिनांक 8.4.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की याचना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, अतः, वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा कारावास की व्यतीत अवधि, तथा किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए, और मामले के गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त किए बगैर, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के पक्ष में जमानत का मामला बनता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- शाकिब को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर, समान राशि के दो प्रतिभुओं समेत एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन याचित नहीं करेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय धारा 229-A भा.द.सं./धारा 269 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं./धारा 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-A भा.द.सं./धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक (1) मामले के आरम्भन, (2) आरोप विरचन, तथा (3) बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं./धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत के निरसन का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षीगण के परिसाक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र अभिमत बनाने में किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।